जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक

बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट

जयपुर, 29 मार्च। बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए लागू की हुई एमनेस्टी योजना में अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है एवं बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत–प्रतिशत छूट दी जा रही है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि बिजली बिल जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ता, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों के कनेक्शन की बकाया राशि की वसूली के लिए यह **योजना 31 मार्च, 2017** तक ही लागू है। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि को छोड़कर योजना के तहत बिजली की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी की पूरी छूट देने साथ ही कटे विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ता अपने कनेक्शन को पुनः जुड़वा भी सकते है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कन्जूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

श्री बोहरा ने आशा व्यक्त की कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपनी बकाया राशि का भुगतान करेंगे तथा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति से बच सकेगें।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 535/2017